

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.

/ 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। संप्रार्थीगण के तामील सम्मत मंत्र डिलीवरी स्टेटमेंट पेश। सा.प्रि.रहे। संप्रार्थीगण की तामील पूरी। संप्रार्थी सं. 1 की शीर ले अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा द्वारा मूल वाद में वकालतनामा पेश। जोय संप्रार्थीगण के विरुद्ध आवजूर सूचना के अनुपादित रहने के कारण एक महीन कार्यवाही मसल में लागी गयी। पत्रावली वास्ते जवाब संप्रार्थी सं. 1 दिनांक 2/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">dsc उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	2.5.25	<p>पत्रावली पेश हुई। नकुलाल पारिकेन उपस्थित। पूर्वनिश की मायना में पत्रावली दिनांक 16/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">dsc उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	16.5.25	<p>पत्रावली पेश हुई। नकुलाल पारिकेन उपस्थित। पूर्वनिश की मायना में पत्रावली दिनांक 28/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">dsc उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
<p>पत्रावली Not press</p>	28.5.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल वाद 'Not Press' के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA की 'Not Press' के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नैलख शुमार होकर नकल से कम होकर दायित्व रक्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">dsc उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>